

ज्ञापांक- २१०/१८१

पटना, दिनांक- २२/११/२०१७

प्रतिलिपि :- संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- २१०/१८१

पटना, दिनांक- २२/११/२०१७

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- २१०/१८१

पटना, दिनांक- २२/११/२०१७

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गांधी मैदान पटना -4

संशोधित कार्यालय आदेश

संचिका संख्या- खा0/पुर्न0/233/2016-17

निर्गत कार्यालय आदेश ज्ञापांक सं0-खा0/178 पटना, दिनांक-21.12.2017 में
टंकण भूल होने के कारण निम्न रूपेण संशोधन किया जाता है-

क्र0	संस्था/समिति का नाम एवं पता	आवंटित कटिया चरखा की संख्या	प्रति चरखा कार्यशील पूँजी (रूपये में)	कार्यशील पूँजी हेतु भुगतान किये जाने वाली राशि (रूपये)
1	नरसिंहपुर खादी केन्द्रित रचनात्मक सहयोग समिति लि0, पो0-नरसिंहपुर, जिला-मुजफ्फरपुर	25	66,000.00	16,50,000.00
2	विकास समिति, जमुई	20	66,000.00	13,20,000.00
3	पचरुखी सिल्क खादी ग्रामोद्योगिक सहयोग समिति लि0, भागलपुर	20	66,000.00	13,20,000.00
		65		42,90,000.00

रु0-42,90,000.00 (बेयालीस लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र।

02. उपर्युक्त क्रमांक-01 से 03 में संशोधन को ही पढ़ा एवं समझा जाय।

04. आदेश में अंकित शेष कंडिकायें एवं शर्तें पूर्व की तरह यथावत् रहेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- 2018/181

पटना, दिनांक- 21/12/17

प्रतिलिपि :- उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री/उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र0)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरुद्धार योजना सह अंकेक्षण)/प्रभारी सहायक (खादी पुर्नरुद्धार योजना)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- 2018/181

पटना, दिनांक- 21/12/17

प्रतिलिपि :- राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

22/12/17